कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था0निर्वा0)जिला पन्ना (म0प्र0)

कमाक / /स्था0 निर्वा0/2020 पन्ना दिनांक फरवरी 2020

स्थानीय निर्वाचन कार्यालय– डाटा इन्ट्री आपरेटर (संविदा) की पदपूर्ति हेतु विज्ञप्ति

पद का विवरण	आरक्षण की स्थिति	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	आयु सीमा	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
डाटा इन्ट्री आपरेटर (संविदा) 01 पद रूपये 10260/– प्रतिमाह	अनारक्षित	1. राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण 2. मेप आई.टी द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण CPCT परीक्षा उत्तीर्ण 3. मध्यप्रदेश का मूल निवासी	दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष)	28 फरवरी, 2020 दिन शुकवार (कार्यालयीन समय पर)

- डाटा इन्ट्री आपरेटर (संविदा) की नियुक्ति दिनांक 28.02.2021 तक के लिए की जावेगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार बढाई जा सकेगी।
- आवेदक निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र अंतिम तारीख तक जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः भेज सकते है। विस्तृत जानकारी और शर्त तथा आवेदन पत्र का प्ररूप मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, आरक्षण और आयु की शर्तें पूरी करने वाले आवेदक का चयन CPCT परीक्षा में कम्प्यूटर प्रोफिशयेन्सी में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट से किया जायेगा। CPCT परीक्षा ने अंग्रेजी और हिन्दी टाईपिंग में क्वालिफाई करना आवश्यक है, यद्यपि टाईपिंग का स्कोर मेरिट में नही जोडा जाएगा।
- डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद के लिए राज्य शासन द्वारा मान्ता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करना आनिवार्य है।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को 21 वर्ष से कम और 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सी 3–15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 की कण्डिका 03(vi) के अनुसार जिन विभागों में संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पदो के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) परीक्षा के माध्यम से स्कोर कार्ड धारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पदों के लिए (CPCT) स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कम्प्यूटर / आई.टी से संबंधित

डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि आयोग के लिए डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद संविदा आधार पर स्वीकृत किए गए है और भर्ती नियमों में योग्यता का प्रावधान नही है। अतः उक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति भी उक्त परिपत्र दिनांक 26.02.2015 में उल्लेखित CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर की जानी चाहिए। मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 14–16/2012/56 भोपाल दिनांक 02.06.2016 के अनुसार CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता अवधि परीक्षा तिथि से 02 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः वैध स्कोर कार्ड को ही विचारण में लिया जायेगा।

- CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते है। प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी का और दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों टाईपिंग की स्पीड के आधार पर स्कोर निर्धारित होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिए क्वालिफाई होना आवश्यक होगा। हिन्दी और अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाई होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा अर्थात मेरिट के निर्धारण में अंग्रेजी और हिन्दी के नेट टाईपिंग का स्कोर शामिल नही किया जायेगा लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होनें हिन्दी और अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो। यदि 02 या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होगे तो अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा । अंग्रेजी टाईपिंग के भी अंक समान होने पर हिन्टी टाईपिंग के अंकों को मेरिट में लिया जाएगा और यदि हिन्दी टाईपिंग के अंक भी समान होंगे तो हायर सेकेण्डरी/ 10+2 के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला पन्ना म0प्र0

पृ0क0/ 73 /स्था0निर्वाचन/2020 पन्ना दिनांक 13/2/2020
प्रतिलिपिः–

1. सचिव म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल को सूचनार्थ।
2. आयुक्त सागर संभाग सागर को सूचनार्थ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी पन्ना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति जिले की वेवसाईट में आम जनता के लिए प्रदर्शित करें।
4. सहायक संचालक जनसंपर्क पन्ना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त संबंध में समाचार पत्रों में प्रेष नोट जारी करें।
5. कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय/ तहसील कार्यालय/जपनद पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय/ मण्डी समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला पन्ना म0प्र0